—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 59/2025

उनवान

1. लोकेन्द्र सिह पुत्र मान सिंह
2. शैतान सिंह पुत्र अर्जुन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

बनाम

1. गिरधारी दत्तक पुत्र जीवण जाति गुर्जर निवासी दिलवाड़ी नसीराबाद,
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज. पैरोकार

3. कंचन कंवर पुत्री अर्जुनसिंह,
4. कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह,
5. गोपालसिंह पुत्र धूलसिंह,
6. मदनसिंह पुत्र धूलसिंह,
7. लाली कंवर पत्नि मानसिंह,
8. सीमा कंवर पुत्री अर्जुनसिंह,
9. हेमकंवर पुत्री अर्जुनसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासी दिलवाड़ी नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 30/6/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर649 रकबा 0.83 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर बिना किसी [illegible] प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद [illegible]

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण [illegible] गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 649 रकबा 0.83 की आराजी प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की हैं। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश नही किया है। प्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 बिना किसी अधिकार उक्त आराजी पर दखलदांजी करता है तो प्रार्थीगण के हित प्रभावित होते है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सह खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। उसके द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जाती है तो अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 649 रकबा 0.83 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को मूल वाद के निसतारण तक जरियें अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मोके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:19 IST
Reason: SelfAttested